

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 23(8) / 2023


दिनांक : 16.08.2023

डॉ. सूर्य प्रकाश पारीक (RJ00383), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर महानगर को दिनांक 31.08.2023 से 08.09.2023 तक 09 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 30.08.2023 एवं 09.09.2023 से 10.09.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

डॉ. पारीक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की सम्भावना है ।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/13/2002/5079

दिनांक : 16.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 29 दिनांक 19.07.2023 के सन्दर्भ में ।
3. डॉ. सूर्य प्रकाश पारीक (RJ00383), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर महानगर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, जोधपुर महानगर ।

  
16.8.2023  
सहायक रजिस्ट्रार